"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी 2003—पौष 25, शक 1924

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ 25-6/2002/XVII.—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को औषधि विश्लेषण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लिये शासकीय विश्लेषक नियुक्त करती है.

क्रमांक (1)	नाम (2)
1.	डॉ. (श्रीमती) गोपा घोष, एसोसियेट फार्माकोग्नोसिस्ट, सी. डी. एल., कोलकाता.
2.	डॉ. (श्रीमती) बन्दिता दास, एसोसियेट बायोकैमिस्ट, सी. डी. एल., कोलकाता.
3.	डॉ. एम. एफ. ए. वेग, जूनियर साइन्टिफिक आफिसर (फार्म कैमिस्ट्री), सी. डी. एल., कोलकाता.
4.	डॉ. ए. के खाश्नोबिश, टेक्नीकल आफिसर (बैक्टीरियोलोजी), सी. डी. एल., कोलकाता.
5.	श्री आर. के. आचार्य, टेक्नीकल आफिसर (फार्माकोलोजी), सी. डी. एल., कोलकाता.
6.	श्री एस. के. राय, जूनियर साइन्टिफिक आफिसर, सी. डी. एल., कोलकता.
7.	श्रीमती पापिया भट्टाचार्य, एसोसियेट फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट, सी. डी. एल., कोलकाता.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. केहरि, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

क्रमांक एफ 25-6/2002/XVII.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 25-6/2002/XVII दिनांक 15-1-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. केहरि संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th January 2003

NOTIFICATION

No. F-25-6/2002/17.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20 of the Drugs & Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940), the State Government hereby appoints the following persons for analysis of Drugs as Government Analyst for the State of Chhattisgarh.

No. (1)	Name (2)
1.	Dr. (Smt.) Gopa Ghosh, Associate Pharmacognocist, C.D.L., Kolkata.
2	Dr. (Smt.) Bandita Das, Associate Biochemist, C.D.L., Kolkata.
3.	Dr. M. F. A. Beg,. Jr, Scientific Officer (Pharm Chemistry), C.D.L, Kolkata.
4.	Dr. A. K. Khasnobis, Tech. Officer (Bacteriology), C.D.L., Kolkata.
5.	Shri R. K. Acharyya, Tech. Officer (Pharmacology), C.D.L. Kolkata.
6.	Shri S. K. Roy, Jr, Scientific Officer, C.D.L. Kolkata.
7.	Smt. Papiya Bhattacharya, Associate Pharmaceutical Chemist, C.D. L., Kolkata.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. KEHRI, Joint Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.